FORM No. III APP-A

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर मुकाम....खींवसर

कालूराम बनाम घेवरलाल

कस्म मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट....नं. 102 सन्..2018

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	05.09.2018	
	प्रार्थीगण ने जरिये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण ने जरिये विद्वान अधिवक्ता उक्त प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है इसलिये हमें एक पक्षीय सुना जावें। वकील प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थीगण एवं पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड अनुसार विवादग्रस्त भूमि पुंश्तैनी है और प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में हक उत्पन होता है पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड एवं बहस के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है । इसलिए आगामी पेशी तक बहक उभयपक्षकारान के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा से संबधित अंतरिम आदेश इस आशय का जारी किया जाता है कि मौजा धोलियाडेर के विवादग्रस्त खेत ख.न. 382 रकबा 84 बीघा, ख.न. 2942/382 रकबा 20 बीघा की आराजी में प्रार्थीगण के हक हिस्से तक की आराजी में अप्रार्थीगण न तो स्वयं दखलंदाजी न करेगे एवं न किसी अन्य से करायेगें तथा न ही बैचान हस्तान्तरण, रहन किया जावे। और मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाने हेतु अतंरिम अस्थाई निषधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता हैं। **उपरोक्त अंतरिम आदेश आगामी पेशी तक प्रभावी रहेगा।** अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस से तलब किया जावें अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जवाव प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 09.10.2018 पेश हो । सहायक कलक्ट्रर खींवसर 9/10/18 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 26/12/18 को प्रस्तुत हो। 26/12/18 [illegible] उपस्थित [illegible] भ्रमण/ [illegible] गये हु [illegible] है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 5/3/19 को प्रस्तुत हो।	

2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/8/22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] ...16/8/22 [illegible]
12/8/22	पत्रावली पेश। [illegible] वकील [illegible] को [illegible] पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली [illegible] पेश हेतु दिनांक 13.9.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर
13/9/22	पत्रावली पेश। वकील उपस्थित [illegible] पूर्व आदेशिका दिनांक 16/8/22 की पालना आज भी करें। मिसल दिनांक 10/10/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
10-10-22	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/ प्रवास/में है/ स्थानान्तरण हो चुका है/ अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 14-12-22 को पेश हो।
14/12/22	पत्रावली पेश। वकील वादी मय वादी को बार-बार न्यायालय से आवाज दिलवायी गयी मगर गैर हाजिर। अतः बार-बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद भी वकील वादी मय वादी के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कार्यवाही अमल में लायी जाकर, वादी के प्रा. पत्र U/S 212 RT Act को अदम पैरवी-अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। वादी के निवेदन पर पुनः प्रकरण को Restore या Reopen किया जा सकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	